कयर परिसंघों में परंपरागत उद्योगों के नवीकरण केलिए निधि योजना (स्फूर्ति)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने दि. 03.10.2005 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा खादी व ग्रामोद्योग के 75 एवं कयर उद्योग के 26 परिसंघों को कयर परिसंघों में परंपरागत उद्योगों के नवीकरण केलिए निधि योजना (स्फूर्ति) के कार्यान्वयन केलिए मंजूरी दी है । परंपरागत उद्योगों को अधिक उत्पादनक्षम, प्रतिस्पर्धात्मक, धारणीय विकास आदि हेतु सक्षम बनाने केलिए 97.25 करोड रु. की कुल लागत पर इस योजना को तैयार किया गया । इस योजना केलिए नोडल एजन्सी के रूप में के वी आई सी एवं कयर बोर्ड कार्यरत हैं । इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रस्तुत हैं :

1. वर्ष 2005-06 से लेकर 5 सालों केलिए देश के विभिन्न भागों में परंपरागत उद्योगों के परिसंघों को विकसित करना

2. परंपरागत उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धात्मक, बाज़ार अनुयोज्य, उत्पादनक्षम एवं लाभकारी बनाना तथा परंपरागत उद्योगों के कारीगरों एवं ग्रामीण उद्यमकर्ताओं को धारणीय रोज़गार प्रदान करना

3. विकास कार्यक्रमों को खुद उपक्रमित करने हेतु स्थानीय स्टेक हॉल्डरों की सक्रिय भागीदारी से औद्योगिक परिसंघों की स्थानीय शासन को प्रणालियों को अधिक सक्षम बनाना

4. परंपरागत उद्योगों के परिसंघ आधारित समान मोडलों को पुनसृर्जित करने केलिए नूतन व परंपरागत कौशलों, बेहत्तर प्रौद्योगियों, नवीन प्रणालियों, बाज़ार आसूचना और सार्वजनिक व निजी साझेदारियों के नए नमूनों को विकसित करना

योजना की प्रति परिशिष्ट - ख में संलग्नित है ।

मंत्रालय ने यूनिडो के परिसंघ विकास कार्यक्रमों में शामिल विभिन्न एजेन्सियों को प्रशिक्षण देने तथा कार्यान्वयन करनेवाले अभिकरणों, परिसंघ विकास अभिकरणों तथा नोडल एजेन्सी के फील्ड अधिकारियों केलिए प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने का दायित्व एम एस एम ई फाउन्डेशन, नई दिल्ली को सौंपा है ।

वार्षिक कार्य योजनाओं एवं निदान अध्ययन रिपोर्टों को अंतिम रूप देने समेत योजना के कार्यान्वयन संबंधी कार्यक्रमों को पूरा करने केलिए करीब दो साल का समय लगा है । अब भी तीन और परिसंघ ज़रूरी दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने केलिए बचे हैं ।

स्फूर्ति के कार्यान्यवन हेतु कयर बोर्ड ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

1. संबंधी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की मंजूरी से 26 कयर उद्योग परिसंघों को चुना गया है । स्फूर्ति की विषय संचालन समिति ने चुने हुए परिसंघों में योजना को कार्यान्वित करने हेतु मंजूरी दी है । चुने हुए परिसंघों का राज्य आधारित ब्योरा संलग्नित है ।
(परिशिष्ट -खख- क)

2. चुने हुए 25 परिसंघों केलिए कार्यान्वयन अभिकरणों को पहचान लिया गया है । नोडल एजेन्सी एवं 23 कार्यान्वयन एजेन्सियों के बीच समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया । बचे हुए समझौता ज्ञापन भी जल्द से जल्द निष्पादित किए जायेंगे ।

3. योजना में अपेक्षित किए अनुसार चार तकनीकी एजेन्सियों को पहचाना गया है और इन एजेन्सियों एवं बोर्ड के बीच समझौता ज्ञापन निष्पादित किया गया है । तकनीकी एजेन्सियों को दिए हुए परिसंघों की जानकारी संलग्नित है । (परिशिष्ट -खख- ख)

4. संबंधी राज्य सरकारों एवं कार्यान्वयन अभिकरणों से सहमति लेते हुए विशेष क्लस्टरों में 25 परिसंघ विकास अभिकर्ताओं को नियुक्त किया गया है ।

5. मंत्रालय की कार्य योजना के अनुरूप इस योजना को कार्यान्वित करने केलिए कयर बोर्ड विशेष महत्व दे रहा है । इसकेलिए एक उप निदेशक के अधीन विशेष प्रकोष्ठ गठित किया गया है । उप निदेशक स्तर के पाँच अधिकारियों को प्रादेशिक अधिकारियों के अलावा इस योजना के कार्यान्वयन की अनुवीक्षा करने हेतु कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ-साथ परिसंघ विकास कार्यकलापों को समेकित करने हेतु नोडल एजेन्सी परिसंघ संयोजकों के रूप में पहचाना गया है । संयुक्त निदेशक (योजना) को कयर बोर्ड के इस योजना संबंधी नोडल पुनरीक्षण अधिकारी नामित किया गया है । यह कयर बोर्ड के इनहाउस योजना विषय संचालन समिति के अतिरिक्त है ।

6. अधिकतम परिसंघों में कार्यान्वयन एजेन्सियों ने परिसंघ विकास संयोजन ग्रूप (सी डी सी जी) स्थापित किए हैं तथा कनसोर्शिया/कच्चा माल बैंक/लाभार्थी अंशदान आदि पर विचार-विमर्श किए ।

7. एन ए एफ ओ, एन ए सी सी तथा संबंधित तकनीकी एजेन्सियों के विशेषज्ञों ने तमिलनाडु के कयर उद्योग परिसंघों का दौरा किया । उन्होंने आई ए, सी डी ए, सी डी सी जी आदि के सदस्यों से योजना के कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श किया । नबार्ड, लीड बैंक, स्थानीय बैंक, स्टेक हॉल्डर आदि के प्रतिनिधियों ने भी बैठकों में भाग लिया । समिति ने कार्यान्वयन अभिकरण के साथ डी एस आर/ए ए पी/डी पी आर आदि को तैयार करने के संबंध में विचार-विमर्श किए ।

8. प्रशिक्षण

क) एम एस एम ई फाउन्डेशन, नई दिल्ली ने दि. 27.11.06 से दि. 01.12.06 तक नीसबुड (एन आई ई एस बी यू डी) कैंपस, नोइडा में कयर बोर्ड द्वारा पहचाने 4 तकनीकी एजेन्सियों तथा विशेषज्ञों को परिसंघ विकास कार्यक्रमों पर प्रशिक्षण दिया है ।

ख) एम एस एम ई फाउन्डेशन, नई दिल्ली ने दि. 27.02.07 से दि. 01.03.07 तक नीसबुड (एन आई ई एस बी यू डी) कैंपस, नोइडा में नोडल एजेन्सी क्षेत्र अधिकारियों एवं नोडल एजेन्सी परिसंघ संयोजकों को प्रशिक्षण दिया है ।

ग) एन आई एम एस एम ई, हैदराबाद ने एम एस एम ई फाउन्डेशन, नई दिल्ली द्वारा तैयारित प्रशिक्षण सामग्री पर आधारित होकर दि. 16.02.07 से 28.02.07 तक पाँच दिन स्फूर्ति के सभी कार्यान्वयन अभिकरणों केलिए प्रशिक्षण दिलाया । प्रशिक्षण सामग्री के अनुसार भारतीय उद्यमकर्ता विकास संस्थान, अहम्मदाबाद ने परिसंघ विकास अभिकर्ताओं केलिए दि.10 जनवरी से 17 मार्च, 2007 तक तीन भागों में विभाजित करके प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था । परिसंघ विकास कार्यकलाप, निदान अध्ययन रिपोर्ट तैयार करना, वार्षिक कार्य योजना आदि पर इस प्रशिक्षण में विशेष महत्व दिया गया ।

घ) तकनीकी एजेन्सियों, सी डी ए तथा एन ए सी सी आदि केलिए कयर बोर्ड ने अपने आलप्पी में स्थित प्रशिक्षण संस्थान में विशेष अनुस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया । प्रतिभागियों को अध्ययन दौरे केलिए केरल तथा तमिलनाड ले चले । उन्होंने परंपरागत एवं अपरंपरागत उद्योगों का दौरा भी किया ।

9. दि. 23.05.07 को हुई चतुर्थ बैठक में सू. ल. और म.उ. मंत्रालय की योजना विषय संचालन समिति ने त्रिपुरा तथा अगर्त्तला में स्फूर्ति को कार्यान्वित करने केलिए मंजूरी दी अब मंत्रालय द्वारा कयर उद्योग में मंजूरी दी हुई परिसंघों की सं. 26 है । 23 परिसंघों से

संबंधित निदान अध्ययन रिपोर्ट एवं वार्षिक कार्य योजना तैयार करके मंत्रालय को दी है। वार्षिक कार्य योजना 2007-08 का संक्षिप्त रूप परिशिष्ट- खखख में दिया गया है । बचे हुए संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप, मोर्जिम (गोवा) तथा अगर्त्तला (त्रिपुरा) आदि तीन क्लस्टरों की रिपोर्टें अभी तक प्रस्तुत नहीं हैं । इस बारे में अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ।

10. कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने हेतु कयर बोर्ड दि. 01 व 02 नवंबर, 2007 को बेंगलूर में एक कार्यशाला आयोजित करने केलिए प्रस्ताव रखा है । स्फूर्ति से जुडे हुए विभिन्न एजेन्सियों से इस कार्यशाला में भाग लेने तथा बोर्ड में उपलब्ध विभिन्न तकनॉलजियों से परिचित होने का अनुरोध किया गया है । उनसे बताया गया है कि कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा अंतिम रूप दिए गए प्रस्तावों संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट दि. 31 दिसंबर, 2007 को या उससे पहले तैयार करें । कयर बोर्ड की विषय संचालन समिति द्वारा कार्य योजना व कार्यक्रमों को विधिमान्यता दी जाएगी । इसकेलिए जनवरी 2008 के अंतिम हफ्ते में अनुमोदन प्रदान की जाएगी और फरवरी 2008 के दूसरे हफ्ते में ही कार्यक्रमों का कार्यान्वयन शूरू करने हेतु निदेश भी दिया जाएगा ।

11. सू.ल. और म.उ. मंत्रालय ने योजना के अंतर्गत विभिन्न एजेन्सियों को प्रशिक्षण दिलाने तथा एम एस एम ई फाउन्डेशन को प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने और प्रशिक्षण चलाने हेतु वर्ष 2005-06 के दौरान 38 लाख रु. का विमोचन किया है ।

12. वर्ष 2006-07 के दौरान मंत्रालय ने योजना के कार्यान्वयन केलिए 650 लाख रु. विमोचित किया है ।

13. बोर्ड ने 23 कार्यान्वयन एजेन्सियों को ट्रस्ट बिल्डिंग, जागरूकता कार्यक्रम, उद्यमकर्ता विकास कार्यक्रम, अध्ययन दौरा आदि पूरक कार्यक्रमों केलिए मंजूरी दी है ।

14. मंजूरी दिए हुए कयर उद्योग परिसंघों की स्थिति विवरण रिपोर्ट परिशिष्ट - खत में दिया हुआ है ।